न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 498 सन 2021

अनवान :–

1. अभिषेक पुत्र कुलदीप नाबालिग जरिये संरक्षिका माता शर्मिला पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सोनादेवी पत्नी फरसाराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. सावित्री पुत्री नानूराम जाति जाट साकिन किकंराली तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27/08/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 26/24 के खसरा न0 12/.3.2250हैक खसरा न0 318/6.8800हैक खसरा न0 36/10.357हैक खसरा न0 367/4.1350हैक कुल 24.5970हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 2530/24597 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है वादी के दादा फरसाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है जो वादी की दादी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की मौसी है वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम गलत तौर से दर्ज हुई वाद भूमि में वाद का भी हक हिस्सा है

वाद भूमि के सम्बध में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हुआ जिसके मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्सा में से 8.199हैक भूमि में से वादी के पक्ष में 5.669हैक भूमि का त्याग कर दिया इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने जो वादी की मौसी है के कोई पुत्र सन्तान नही होने के कारण अपना सम्पूण हिस्सा अपने दोहते वादी के पक्ष में त्याग कर दिया इसप्रकार वादी कुल 8.199हैक भूमि का हकदार हो गया और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करता आ रहा है किन्तु बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा व बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो वादी की मौसी/दादी है के नाम से दर्ज भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पौता एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बेटा है तथा वाद भूमि विरास्तन से उन्हे प्राप्त हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बटवारा किया जाकर वाद भूमि वादी का दी गई है जो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है बाहमी बटवारा में दी गई भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 26/24 के खसरा न0 12/.3.2250हैक खसरा न0 318/6.8800हैक खसरा न0 36/10.357हैक खसरा न0 367/4.1350हैक कुल 24.5970हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 2530/24597 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है वादी के दादा फरसाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है जो वादी की दादी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की मौसी है वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम गलत तौर से दर्ज हुई वाद भूमि में वाद का भी हक हिस्सा है

वाद भूमि के सम्बध में वादी का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हुआ जिसके मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्सा में से 8.199हैक भूमि में से वादी के पक्ष में 5.669हैक भूमि का त्याग कर दिया इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने जो वादी की मौसी है के कोई पुत्र सन्तान नही होने के कारण अपना सम्पूण हिस्सा अपने दोहते वादी के पक्ष में त्याग कर दिया इसप्रकार वादी कुल 8.199हैक भूमि का हकदार हो गया और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करता आ रहा है किन्तु बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा व बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण /हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 26/24 के खसरा न0 12/.3.2250हैक खसरा न0 318/6.8800हैक खसरा न0 36/10.357हैक खसरा न0 367/4.1350हैक कुल 24.5970हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 2530/24597 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसकी दादी/मौसी के नाम से दर्ज है जिन्होने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा में वाद भूमि वादी को दी गई है जो वादी के कब्जा काश्त में है जिसे अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने बाहमी बटवारा में भूमि वादी का दी गई जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है

उपखण्ड अधिकारी
दोहर

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार एक ही परिवार के सदस्यो के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 26/24 की कुल 24.5970हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 8.199हैक भूमि दर्ज है मे से 5.669 हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 2.530हैक भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. अभिषेक पुत्र कुलदीप नाबालिग जरिये संरक्षिका माता शर्मिला पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सोमादेवी पत्नी फरसाराम जाति जाट निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. सावित्री पुत्री नानूराम जाति जाट साकिन किकंराली तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 498 सन 2021 निर्णय दिनांक– 27/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 26/24 की कुल 24.5970हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 8.199हैक भूमि दर्ज है मे से 5.669 हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 2.530हैक भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner